

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 221]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 अप्रैल 2011—चैत्र 23, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच, (37).—मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 10 सन् 2011) की धारा 1 की उपधारा (2) में खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 16 अप्रैल 2011 को उस तारीख में रूप में नियत करती है जिसको की उक्त संशोधन अधिनियम की धारा 23 (दो) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. एफ-ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसर में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-15-2011-1-पांच, (37), दिनांक 13 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

Bhopal, the 13th April 2011

FA-3-15-2011-1-V-(37).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2011 (No. 10 of 2011), the State Government, hereby, appoints the 16th April 2011 as the date on which the provision of Section 23 (ii) of the said amending Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.K.YADAV, Addl. Secy.